न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

प्रकीर्ण आवेदन संख्या :– 651/11/2022

श्रीमती लता सक्सैना प्रति मौनू सक्सैना एवं अन्य

धारा :– 156(3) दं0प्र0सं0

थाना :– बन्नादेवी, अलीगढ़।

ब्छत छवण्न्च|स्व241302022

<u>16–09–2022</u>

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थिया श्रीमती लता सक्सैना के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर नियत दिनांक से पूर्व की दिनांक पर सुना जा चुका है।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रार्थिया श्रीमती लता सक्सैना की ओर से विपक्षीगण मौनू सक्सैना, भोला सक्सैना तथा श्रीमती रजनी सक्सैना के विरूद्ध अं0धारा 156(3)दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी के विरूद्ध थाने पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने के आदेश पारित किये जावे।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया का कथन है कि प्रार्थिया गौतमनगर, आई. टी. आई. रोड थाना बन्ना देवी जिला अलीगढ़ की निवासिनी है। प्रार्थिया का विवाह 04.03.2022 को मौनू सक्सेना पुत्र जयप्रकाश सक्सैना निवासी– महावीरगंज कटरा स्ट्रीट थाना देहलीगेट जिला अलीगढ़ के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दीक्षा कुंज पान दरीवा में सम्पन्न हुई थी। प्रार्थिया के माता पिता एवं अन्य रिस्तेदारों ने प्रार्थिया की शादी में करीव 5,00,000 लाख रुपये खर्च किये थे जिसमें दो लाख रुपये नकद दिये थे एवं समस्त घरेलू सामान टी. वी., फिज, कूलर, डवल बैंड सोफासेट, वाशिंग मशीन, अलमारी, सिलाई मशीन, डिनर सेट व कीमती कपड़े एवं सोने चाँदी के जेवरात कीमती करीव दो लाख रुपये के दिये थे। विवाह से पूर्व ही उक्त मौनू सक्सेना के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था तथा शादी की सारी रस्में मोनू सक्सैना के मौसा भोला सक्सैना व उनकी पत्नी रजनी सक्सैना ने माता पिता की तरह निभाई थी तथा शादी से पूर्व उक्त भोला सक्सैना व रमनी सक्सैना ने उक्त मीनू सक्सैना को ग्रेजुएट बताया था तथा प्राइवेट जॉब करता बताकर 40 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलना बताया था। शादी के पश्चात काफी दिनों तक जब उक्त मोनू सक्सैना नौकरी पर नहीं गया तो प्रार्थिया के टोकने पर झगड़े पर उतारू हो गया तथा धमकी देने लगा कि मैं कोई नौकरी वगैरा नहीं करता और न में ग्रेजुएट हूँ। मैं तो जूस की दुकान चलाता हूँ। मेरे मौसा–मौसी ने तेरे माँ बाप से दहेज में पैसे देने की गरज से बोलकर मेरी शादी तुझसे कराई है। यदि तू मेरे साथ रहना चाहती है तो तुझे अपने पिता से प्लाट खरीदने हेतु पाँच लाख रुपये लेकर आने पड़ेगें पैसे न लाने पर में तुझे इस घर में नहीं रहने दूँगा। उपरोक्त मोनू सक्सैना की शिकायत उसके मौसा मौसी से करने पर उक्त लोगों ने भी प्रार्थिया के साथ गाली गलौज करते हुये धमकी दी कि हमने

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAL040241302022/truecopy/order-1.pdf

www.ecourtsindia.com

तो मौनू का विवाह घर में बहू लाने के लिये नहीं किया बल्कि घर में नौकरानी लाने के लिये किया है अगर तुझे घर में रहना है तो नौकरानी की तरह ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा उक्त लोगों ने प्रार्थिया के साथ गाली गलौज व मारपीट करना शुरू कर दिया। शादी से पूर्व प्रार्थिया के ससुरालीजनों द्वारा महावीरगंज में 50 गज का स्वयं का मकान बताया था किन्तु शादी के पश्चात ज्ञात हुआ कि उक्त मकान खंडहर हालत में है और गिराऊ हालत में है जो मौनू सक्सैना की दादी के नाम है। उक्त मकान रिहायश योग्य न होने के कारण प्रार्थिया का पति मौनू सक्सैना प्रार्थिया को अपने मौसा भोला सक्सैना के यहां रखने लगा जहां पर चार कमरों के मकान में भोला सक्सेना के पाँच बच्चे उनके बड़े भाई के पांच बच्चे उनके वृद्ध पिता एवं प्रार्थिया के पति सहित करीब 15–16 लोग निवास करते है इसके अलावा उपरोक्त परिवार के सभी सदस्य है जिनके खाने पीने की जिम्मेदारी प्रार्थिया के ऊपर प्रारम्भ से ही डाल दी गयी एवं घर के सभी लोगों का खाना बनाना कपडे धोना एवं घर के सभी कामों की जिम्मेदारी प्रार्थिया के उपर डालकर नौकरों से भी खराब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वाक्या दिनांक 24.06.2022 की दोपहर करीब 2.00 बजे की है जब उपरोक्त ससुरालीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की खातिर प्लाट खरीदने के लिये पाँच लाख रुपये एवं मोटर साइकिल की मांग की गयी न देने पर प्रार्थिया को मारपीट कर पहने हुये कपड़ो में घर से निकाल दिया और तभी से प्रार्थिया अपने माता पिता पर बोझ बनकर रह रही है। उपरोक्त घटना की शिकायत प्रार्थिया द्वारा थाना बन्ना देवी पर की गयी किन्तु पुलिस द्वारा उपरोक्त विपक्षीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी जिसके कारण प्रार्थिया के ससुरालीजनों के होंसले काफी बुलन्द है और वे लोग दहेज लोभी होने के कारण प्रार्थिया के साथ कोई अप्रिय घटना निकट भविष्य में घटित कर सकते है। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में प्रार्थिया के द्वारा दिनांक 21.07.2022 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अलीगढ़, डी०आई जी अलीगढ एवं थानाध्यक्ष बन्ना देवी एवं थानाध्यक्ष क्वार्सी को बजरिये डॉक प्रेषित किया लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थिया श्रीमान जी के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया की ओर से स्वयं का शपथ पत्र, फेहरिस्त दिनांकित 25–07–2022 से श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़, श्रीमान डी0आई0जी0 महोदय अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ तथा श्रीमान थानाध्यक्ष बन्नादेवी अलीगढ़ को प्रेषित प्रार्थनापत्र दिनांकित 21–07–2022 की प्रति मय चार किता असल रजिस्ट्री रसीद तथा आधार कार्ड की प्रति दाखिल की गयी है।

प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में थाना बन्नादेवी से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि उभय पक्षों के मध्य दाम्पत्य सम्बन्धी विवाद है। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की जानकारी प्रार्थिया के व्यक्तिगत ज्ञान में है। विवेचना से किसी भी नये तथ्य

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAL040241302022/truecopy/order-1.pdf

के प्रकट होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः इस सम्बन्ध में विवेचना कराये जाने का कोई आधार नहीं है। प्रार्थिया ने घटना का सम्पूर्ण विवरण प्रार्थनापत्र में दिया है। घटना के गवाह भी प्रार्थिया आसानी से न्यायालय के समक्ष अपने मामले को साबित करने के लिए प्रस्तुत कर सकती है। प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार के है कि यदि

मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाये तो भी न्याय के उद्वेश्यों की पूर्ति आसानी से हो जायेगी।

जहॉ तक धारा 156(3)द0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराए जाने की बाध्यता का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय जोसफ माधुरी बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरि साक्षी 2001 (3) काइम 324, मौ0 युसुफ बनाम श्रीमती आफाक 2006 जे0आई0सी0 705, एलक पदमसी बनाम भारत संघ (2007)6ए0सी0सी0 171 में** यह मत व्यक्त किया गया है कि दं0प्र0सं0 की धारा 156(3) के अन्तर्गत अन्वेषण के लिए प्रस्तुत किए गए प्रार्थनापत्र में.....,जिसमें मजिस्ट्रेट न्यायालय संज्ञान लिए जाने से पूर्व धारा 156(3)द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस के द्वारा अन्वेषण का आदेश कर सकता है या परिवाद पर संज्ञान लेकर परिवादी व उसके साक्षीगण का साक्ष्य धारा 200 व 202 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत जॉच कर सकता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0राज्य 2015 (6) एस0सी0सी0 287 में** यह मत व्यक्त किया है कि धारा 156(3) द0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते समय न्यायालय को विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायाल इलाहाबाद द्वारा **गुलाबचन्द उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य जे0आई0सी0 2002 पेज 853** में प्रतिपादित विधिक व्यवस्था के अनुसार यदि घटना का सम्पूर्ण विवरण व मुल्जिमान का विवरण प्रस्तुत किया गया है एवं मामले के तथ्यों को देखते हुए न्यायालय को विवेचना की आवश्यकता यदि प्रतीत होती है तो अध्याय 15 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत कार्यवाही करना ही न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मामले में पुलिस से अन्वेषण कराने हेतु कोई तथ्य शेष न होने के कारण परिवाद के रूप में दर्ज किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिया श्रीमती लता सक्सैना की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान परिवादिनी अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 दिनांक 13–10–2022 को पेश हो।

दिनांक :– 16–09–2022

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलीगढ़।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAL040241302022/truecopy/order-1.pdf

www.ecourtsindia.com

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAL040241302022/truecopy/order-1.pdf

www.ecourtsindia.com

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAL040241302022/truecopy/order-1.pdf